राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 655वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9958/2023 Shri Sudhir Choudhary, Owner, R/o Ward No. 26, Prem Nagar, Tehsil & District-Balaghat (MP)- 481001, Prior Environment Clearance for Bhanpur Crusher Stone Quarry in an area of 4.173 ha. (30001 Cum per annum) (Khasra No. 41 P), Village-Bhanpur, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 41 P), Village-Bhanpur, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP) 4.173 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक सुधीर चौधरी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 411 दिनांक 20/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान

स्वीकृत / संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता है अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को—आर्डिनेट पुनः प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का क्षेत्र दर्शित हो सके।

2. Case No 9858/2023 M/s Veer Durgadas Minerals Pvt.Ltd. R/o Rathore House, Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh (Raj.)-312021, Prior Environment Clearance for Limestone Quarry in an area of 221.043 ha. (500010 TPA) (Khasra No. As per Lease Sanction) Village-Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP).

This is case of Limestone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Village-Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (M.P.). Lease Area - 221.043 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिव कुमार लखेरा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कान सिंग राठौर मेसर्स इंवायरो ग्रीन कंसल्टेंस (इंडिया) प्रा.लि. उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि खदान का क्षेत्रफल 221.043 हे0 होने के कारण प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र कई भागो में विभाजित है जिसमें खदान के अंदर कई जगह मानव बसाहट दिख रही है एवं खदान के दो भागों के बीच में से एक पक्की रोड़ दिख रही है। प्रश्नाधीन खदान का टॉर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 10/02/22 को जारी हुआ था।

During presentation PP submitted following Back Ground & Choronology of the project:

#### **Background and Status of the Lease**

• Suvakheda, & Kheda Rathore Limestone Mine (Area: 221.043 hectare) is a proposed opencast mining project located near village- Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil- Jawad, District- Neemuch, Madhya Pradesh of M/s. Veer Durga Das Minerals Pvt. Ltd.

- M/s. Veer Durga Das Minerals Pvt. Ltd. applied for Prospecting License (PL 19/2011) over an area of 2480 hectares in the villages Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil- Jawad, District Neemuch, Madhya Pradesh (MP) on dated: 15.09.2011.
- Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh granted the Prospecting License over an area of 221.043 hectares in village Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil Jawad, District Neemuch, M.P. vide order no. F2-113/2012/12/1 dated 14.08.2013 for a period of two years. The PL was executed on 17.10.2013 and registered vide deed no. 1881 dated 05.11.2013 for a period of two years.
- Letter of intent (LOI) was issued to M/s. Veer Durga Das Minerals Pvt. Ltd for grant of the mining lease over an area of 221.043 hectares in village Suvakheda and Kheda Rathore for a period of 50 years for the mineral limestone (non-captive use) vide the Mineral Resources Department, Govt. of Madhya Pradesh letter no. F 3- 58/2018/12/1 dated 03.10.2018.
- Lease grant order in favour of M/s. Veer Durga Das Minerals Pvt. Ltd. over an area of 221.043 hectares in village Suvakheda and Kheda Rathore for a period of 50 years for the mineral limestone (non-captive use) was issued vide letter no. F 3- 58/2018/12/1 dated 07.02.2020 & registered on dated: 25.06.2020.
- The Mining Plan under rule 16(1) of MCR 2016 and Rule 23 of MCDR 2017 for the area was approved by the Regional Controller of Mines, IBM, Jabalpur, M.P. vide letter No. MP/Neemuch/Limestone/MPLN/G-08/19-20 dated 19.12.2019. Modification to the approved Mining Plan was submitted under Rule 17(3) of MCR 2016 and rule 23 of MCDR 2017 for the remaining period of 2021-22 to 2024-25 and approved vide letter no. MP/Neemuch/Limestone/ MPLN/MOD-06/2021-22/5651 dated 30.07.2021.

#### **Choronology of the project:**

Particular	Description
Submission of proposal for ToR	Proposal No. IA/MP/MIN/226037/2021 23 <sup>rd</sup> August, 2021
Technical Presentation (For ToR approval)	37 <sup>th</sup> Meeting of EAC, held on dated 15-17 <sup>th</sup> September 2021 (The EAC deferred the proposal due to requirement of the additional information)
Re-technical Presentation (For ToR approval)	Additional information submitted on dated 07.12.2022 and proposal has been re-considered in 44 <sup>th</sup> Meeting9959 of EAC, held on dated 28-29 <sup>th</sup> December 2021.
Issuance of ToR Letter by MoEF&CC	ToR Letter: J-11015/83/2020-IA.II (M); Dated: 10.02.2022
Baseline study period.	March-2022 to May-2022

Transfer of Proposal from MoEF&CC to SEIAA	As per MoEF&CC Notification dated: 20 <sup>th</sup> April, 2022, all the mining project of major minerals of area < 250 ha are to be considered under Category B at state level.  Accordingly, the File has been transferred from MoEF&CC to SEIAA, Madhya Pradesh vide MoEF&CC letter no. J-11015/83/2020-IA-II (M); dated 23.02.2023
Public hearing conducted on dated.	24 <sup>st</sup> February, 2023
Final EIA/EMP submission for appraisal	03 <sup>rd</sup> April, 2023
Technical Presentation (For EC) at SEAC, MP	645 <sup>th</sup> Meeting of SEAC Dated 15 <sup>th</sup> May, 2023

परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि प्रस्ताव में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट नही होने से जानकारी चाही गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08/06/23 को अपलोड कर दी गई है, प्रकरण आज दिनांक 22/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है। परियोजना प्रस्तावक श्री कान सिंग राठौर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री शिव कुमार लखेरा, मेसर्स इंवायरो ग्रीन कंसल्टेंस (इंडिया) प्रा.लि. उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में निम्न जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई।

- ▶ बिन्दु स. 1 सिया के पत्र क्0. 33 दिनांक 06/04/2023 द्वारा प्रेषित दैनिक भास्कर, भोपाल में प्रकाशित खबर दिनांक 24/03/2023 में उल्लेख किया गया है, कि में0. वीर दुर्गा दास मिनरल्स प्रा0. लि0. ग्राम सुवाखेड़ा एवं खेड़ा में स्थानीयग्राम वासियों की सहमित प्राप्त किये बिना ही लीज आंविटत किये जाने का उल्लेख किया गया एंव पत्र में लेख है, कि कुल 546 एकड़ जमीन जिन में से 481 एकड जमीन स्थानीय ग्राम वासियों (2000 किसानों) की है। इस सबंध में परियोजना प्रस्तावक प्रमाणिक तथ्यों के साथ जानकारी प्रस्तुत करें।
  - प्रत्युत्तर सिया के उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में श्रीमान् जिला कलेक्टर नीमच ने अपने पत्रांक 597 / खनिज / 2023 नीमच दिनांक 12.05.2023 से बिन्दुवार प्रत्युत्तर मय खनि निरीक्षक की रिपोर्ट के प्रेषित किया गया है। ।
- ▶ बिन्दु स. 2 ब्लॉक न0. 4 (32.09 हे.) के जहां खनन कार्य प्रस्तावित है। उक्त संबंध मे माइन क्लोजर प्लान मे स्थिति स्पष्ट करे । ब्लॉक न0. 4 के वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल प्लान भी प्रस्तुत करें।

प्रत्युत्तर माईन क्लोजर — प्रारंभिक खनन कार्य ब्लॉक नं. ४ के शासकीय खसरा संख्या ४२९ रकबा ४. ४२० हैक्टैयर में किया जाएगा तथा ब्लॉक नं. ४ में खनन कार्य पूर्ण होने पर खनन किए गए क्षेत्र के

कुछ हिस्से को बैकफिल कर वृक्षारोपण किया जाएगा एवं बचे हुए क्षेत्र को बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए पांण्ड के रुप में छोड़ा जाएगा जो कि क्षेत्र के भू जल स्तर में सुधार करेगा।

वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल — अपिशष्ट उत्पादन केवल मिनरल रिजेक्ट के रुप में होगा। खनन कार्य के दौरान उत्पन्न अपिशष्ट को निर्दिष्ट स्थान पर एकत्रित किया जाएगा तथा खनन कार्य पूर्ण होने पर खनन पिट क्षेत्र को बेकिफिलिंग हेतु वेस्ट मटैरियल को काम में लिया जाएगा तथा बेकिफिलिंग क्षेत्र को लेवल कर उस पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

- बिन्दु स. 3 ब्लॉक 4 के खसरा नं., भू स्वामी का नाम पी 2 फार्म में दर्ज कैफियत, कास्त एवं सहमित पत्र प्रस्तुत करे।
  - प्रत्युत्तर : ब्लॉक 4 मे आने वाले भू स्वामियों के फार्म पी—2 की प्रमाणित प्रति एवं शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।
- बिन्दु स. 4 प्रस्तावित खदानों के वर्तमान भू—जल स्तर की जानकारी केन्द्रीय भू—जल बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
  - प्रत्युत्तर : केन्द्रीय भू जल से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है पत्र की प्रति प्रस्तुतीकरण में दर्शायी गई है। वर्तमान भूजल स्तर की जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड को पत्र दिया गया है।
- े बिन्दु स. 5 यदि भू जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिलक अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
  - प्रत्युत्तर : भू जल प्रतिछेदन प्रस्तावित नही है।
- ▶ बिन्दु स. 6: ब्लॉक 2,4 एवं 10 का कुल क्षेत्र 135.61 हैक्टेयर है इन तीनो ब्लॉको में शासकीय भूमि तथा निजी भूमि का खसरावार क्षेत्र दर्शाते हुए तालिका प्रस्तुत की जावे तथा ब्लॉक 4 में जो निजी किसान प्रभावित होगे उनमें से जन सुनवाई में कौन—कौन से किसान उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा क्या—क्या सुझाव आपत्ति दी गई, उनके सुझाव / आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण सम्बन्धित जानकारी तालिका में प्रस्तुत करे।
  - प्रत्युत्तर : ब्लॉक 2, 4 एवं 10 के तीनो ब्लॉको की शासकीय एवं निजी भूमि की खसरा सूची संलग्न है। यह कि उक्त लोक सुनवाई हेतु मध्य प्रदेश प्रदुषण बोर्ड, उज्जैन द्वारा दिनांक 24.02.2023 को लोक सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई जिसकी प्रदुषण विभाग, उज्जैन द्वारा लोक सुनवाई के एक दिवस पूर्व आसपास के समस्त ग्रामो में मुनादी करवाई गई तथा लोक सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर के समाचार पत्र में लोक सुनवाई हेतु विज्ञिप्त जारी की गई थी। उक्त लोक सुनवाई में सम्बन्धित एवं आस पास के कई किसान उपस्थित हुए एंव उनके द्वारा दिए गए सुझाव/आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण किया गया है।
- ▶ बिन्दु स. 7 : ब्लॉक 4 जिसमें माईनिंग प्लान अनुसार वर्ष 2021 से 2050 हेतु तालिका 4.2 अनुसार रोपण योजना प्रस्तुत की गई है साथ ही ब्लॉक 2, ब्लॉक 10 हेतु भी योजना प्रस्तुत की गई उसका विस्तृत विवरण स्थल पर दर्शाया जावे तथा रोपण से सुरक्षा अवधि तक बजट प्रावधान भी दर्शाया जावे। रोड साईड रोपण हेतु दुरी तथा पौधो की संख्या दर्शाया जावे। बण्ड रोपण हेतु दिए गए प्रस्ताव को स्पष्ट किया जावे।

प्रत्युत्तर : खदान के जीवन के अंत तक (2070), कुल वृक्षारोपण 29.1497 हेक्टेयर (कुल भूमि का लगभग 43.22:) में होगा जिसमें 7.81 हेक्टेयर बैकफिल क्षेत्र, और 21.3397 हेक्टेयर सेफ्टी बेरिअर फ्रेश ग्राउंड, और रोड साइड शामिल है। वर्षवार वृक्षारोपण की संख्या, और बजट (वृक्षारोपण एवम बण्ड रोपण) निम्नानुसार है

क्र. स	ब्लॉक	वर्ष	सेफ्टी बेरिअर फ्रेश ग्राउड, परिवहन मार्ग (1 किमी) क्षेत्र हैक्टेयर में	बैकफिलिंग व ं	कुल क्षेत्र	पौधो की संख्या	वृक्षारोपण का मुल्य (लाखो में)	बण्ड रोपण का मुल्य (लाखो में)
1	4, 1	2021 - 2025	2.0151	0	2.0151	2015	14.00	4.00
2	4, 1	2026 -2030	2.4541	0	2.4541	2450	17.50	5.00
3	4, 1	2031 -2035	2.4193	0	2.4193	2420	17.50	5.00
4	4, 1	2036 -2040	2.363	0.5213	2.8843	2880	17.50	5.00
5	4, 1	2041 - 2045	1.7935	0.5279	2.3214	2320	17.50	5.00
6	4, 1	2046 - 2050	1.7935	0.39	2.1835	2190	17.50	5.00
7	2, 4	2051 - 2055	1.7935	0.5103	2.3038	2300	17.50	5.00
8	2, 10	2056 - 2060	2.3305	1.6148	3.9453	3950	17.50	5.00
9	2, 10	2061 - 2065	1.7935	0.585	2.3785	2380	17.50	5.00
10	10, 3	2066 - 2070	2.5837	3.6607	6.2444	6250	17.50	5.00
कुल			21.3397	7.81	29.1497	29155		

बिन्दु स. 8 : ब्लॉक वार प्राप्त मृदा का उपयोग स्पष्ट किया जावे। रोपण क्षेत्र एवं हरित पट्टी में मृदा उपयोग दर्शाया गया है, परन्तु क्षेत्रवार उपयोग कहाँ—कहाँ उपयोग किया जावे।

ब्लॉक वार प्राप्त मृदा का उपयोग स्पष्ट किया जावे। रोपण क्षेत्र एवं हरित पट्टी में मृदा में मृदा उपयोग दर्शाया गया है, परन्तु क्षेत्रवार उपयोग कहा—कहां उपयोग किया जावे।

प्रत्युत्तर : ब्लॉकवार मृदा उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :-

ब्लॉकवार प्राप्त मृदा	का विवरण			ब्लॉकवार उपयोग (हैक्टैयर)			
वर्ष	ब्लॉक	मृदा	वृक्षारोपण हेतु मृदा का उपयोग	ब्लॉक	सेफ्टी बेरिअर फ्रेश ग्राउड, परिवहन मार्ग (1 किमी)	बैकफिलिंग	कुल क्षेत्र
2021 to 2025	Block No 4	122930	30000	4, 1	2.0151	0	2.0151
2025 to 2030	Block No 4	0	6606	4, 1	2.4541	0	2.4541
2030 to 2035	Block No 4	16883	6250	4, 1	2.4193	0	2.4193
2035 to 2040	Block No 4	26803	10908	4, 1	2.363	0.5213	2.8843

2040 to 2045	Block No 4	28777	5279	4, 1	1.7935	0.5279	2.3214
2045 to 2050	Block No 4	27831	3900	4, 1	1.7935	0.39	2.1835
2050 to 2055	Block No 4	92899	5103	2, 4	1.7935	0.5103	2.3038
2055 to 2060	Block No 2	487044	21788	2, 10	2.0151	0	2.0151
2060 to 2065	Block No 10	43544	5850	2, 10	2.4541	0	2.4541
2065 to 2070	Block No 10	33702	44626	10, 3	2.4193	0	2.4193

बिन्दु स. 9 ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में खनन क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी जैसे ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की कब बैठक आहुत की गई थी एवं उसमें कितने लोग उपस्थित हुए। जिनकी भूमि खनन उपयोग के लिए प्रस्तावित है को स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर ग्राम सभा बैठक दिनांक 29.12.2011 को आयोजित की गई जिसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 29.12.2011 अनापत्ती प्रमाण पत्र में वर्णित है तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत खसरो की सूची संलग्न है। नियमानुसार शासन द्वारा खननपट्टा स्वीकृत किया गया तथा जो क्षेत्र प्रस्तावित है उसके लिए नियमानुसार शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

बिन्दु स. 10 वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तावित स्थल एवं परिवहन मार्ग में कितनी लम्बाई तक कितने पौधे (संख्या) कब—कब लगेगे। इस सम्बनध में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रत्युत्तर: वर्षवार वृक्षारोपण की संख्या, और बजट (वृक्षारोपण एवम बण्ड रोपण) निम्नानुसार है

क्र. स	ब्लॉक	वर्ष	सेफ्टी बेरिअर फ्रेश ग्राउड, परिवहन मार्ग (1 किमी)	बैकफिलिंग	कुल क्षेत्र	पौधो की संख्या	वृक्षारोपण का मुल्य (लाखो में)	बण्ड रोपण का मुल्य (लाखो में)
			क्षेत्र हैक्टेयर में				,	
1	4, 1	2021 - 2025	2.0151	0	2.0151	2015	14.00	4.00
2	4, 1	2026 -2030	2.4541	0	2.4541	2450	17.50	5.00
3	4, 1	2031 -2035	2.4193	0	2.4193	2420	17.50	5.00
4	4, 1	2036 -2040	2.363	0.5213	2.8843	2880	17.50	5.00
5	4, 1	2041 - 2045	1.7935	0.5279	2.3214	2320	17.50	5.00
6	4, 1	2046 - 2050	1.7935	0.39	2.1835	2190	17.50	5.00
7	2, 4	2051 - 2055	1.7935	0.5103	2.3038	2300	17.50	5.00
8	2, 10	2056 - 2060	2.3305	1.6148	3.9453	3950	17.50	5.00
9	2, 10	2061 - 2065	1.7935	0.585	2.3785	2380	17.50	5.00
10	10, 3	2066 - 2070	2.5837	3.6607	6.2444	6250	17.50	5.00
कुल			21.3397	7.81	29.1497	29155		

बिन्दु स. 11 ब्लॉक 4 में खनन कार्य किया जाना है जिसका कुल रकबा 32.09 हैक्टेयर है जिसमें लगभग 38500 पौधे प्रस्तावित है। अतः ब्लॉक 4 की विस्तृत निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना क्षेत्र की

स्वाईल प्राफाईल एवं (सतत सिंचाई 2 से 5 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख रखाव के साथ) के साथ प्रस्तुत की जावे।

प्रत्युत्तर : वर्षवार वृक्षारोपण की संख्या, और बजट (वृक्षारोपण एवम बण्ड रोपण) एवं इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण निम्नानुसार प्रस्तावित है।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधो की प्रजातियां	मात्रा प्रतिवर्ष	रोपण वर्ष
1	बैरियर जोन एवं	नीम, बबूल, जामून,	1000	प्रतिवर्ष
2	नॉन माईनिंग जोन एवं माईनिंग जोन के अन्तर्गत	पलाश, केर, आम, शीशम, बरगद, पीपल, अमलतास,	1000	प्रतिवर्ष
3	ग्राम सीमा में स्थित ग्रामवासियो को वितरण हेतु फलदार पौधो का वितरण	सबबल, विलायती	1000	प्रतिवर्ष
4	शासकीय विद्यालय या ग्राम पंचायत के परिसर लगने वाले पौधों का विवरण	λ (γ - 1) β - 11	1000	प्रतिवर्ष
5	परिवहन मार्ग (न्यूनतम उंचाई 1.5 मी.) कुल लम्बाई में)		1000	प्रतिवर्ष

बिन्दु स. 12 इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान क्षेत्र में कुआ, ट्यूबवेल, निजी भूमि गौस्वामी समाज की समाधी है, चरागाह की भूमि शामिल है ग्राम खेड़ा राठौड़ में की में मंदिर है, स्कूल, मांगलिक भवन एवं गांव की रोड है। इन बिन्दुओ ई.एम.पी./ सी.ई.आर. में शामिल करें।

प्रत्युत्तर : खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान क्षेत्र में कुआ, ट्यूबवेल आती है किन्तु निजी भूमि गौरवामी समाज की समाधी, चरागाह की भूमि शामिल नहीं है तथा ग्राम खेड़ा राठौड़ के मंदिर, स्कूल एवं मांगलिक भवन नहीं आते है तथा उक्त स्वीकृत खननपट्टा विधिअनुसार भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियमों के अनुसार प्रतिबधित दूरियों को छोडते हुए स्वीकृत किया गया है एवं ई.एम.पी. और सी.एस.आर. के लिए बजट प्रतिवर्ष 8.30 लाख प्रस्तावित है।

बिन्दु स. 13 आवेदित वन सीमा से 08 से 10 किलोमीटर दूरी पर है किन्तु 10 किलोमीटर की दूरी नेशनल पार्क, अभ्यारण एवं जैव विविधता सम्बन्धी जानकारी अपलोड नहीं है, अतः प्रस्तुतीकरण के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे।

प्रत्युत्तर वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बिन्दु स. 14: परियोजना प्रस्तावक द्वार खसरा पंचशाला पी—2 फार्म आनलाईन अपलोड नही किया गया है अतः परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के साथ खसरा पंचशाला पी—2 फार्म प्रस्तुत करे। प्रत्युत्तर : खसरा की पंचशाला की प्रमाणित प्रति संलग्न कि है।

बिन्दु स. 15 : लीज आर्डर अनुसार ग्राम सुवाखेड़ा एवं खेडा राठौड़ है जबिक परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन सुवाखेड़ा, भरभरिया, खोर, गुजरखेडी में उल्लेखित है इस सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक स्थिति स्पष्ट करे।

प्रत्युत्तर: प्रस्तावित खनन क्षेत्र ग्राम सुवाखेड़ा एवं खेड़ा राठौड में ही आता है एवं खसरा की पंचशाला भी संलग्न है तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य ग्राम भरभडिया, खोर, गुजरखेडी परिवेश पोर्टल द्वारा स्वतः लिया गया है जो हमारे स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्र में नहीं आते हैं।

उपरोक्त बिंदुओ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई समिति द्वारा चर्चा उपरांत पाया गया है कि सेक के क्वेरी क्रमांक 1 के संदर्भ में जिलाध्याक्ष नीमच द्वारा अपने पत्रांक 597/खनिज/2023 नीमच दिनांक 12.05.2023 में उक्त बिंदु पर टीप नहीं दी गई है, मात्र पुराने बिंदु का ही उल्लेख किया है । अन्य बिंदुओं के संबंध में परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अतः विस्तृत जानकारी निम्न बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी जावें:—

- ब्लॉक न. ४ के भू—स्वामी कितने है खसरावार तालिका प्रस्तुत करे ।
- ओ.वी. डंप कहाँ रखा जायेगा अथवा उसके विक्रय का प्रस्ताव है, स्थिति स्पष्ट करें ।
- बस्तियो से, एवं नदी, नाला, बॉध से एन.जी.टी. / सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप 200 मीटर का सेटबेक के आधार पर सरफेस मैप प्रस्तुत करे। ब्लॉक न. 2 से स्टॉप डेम के एच.एफ.एल एवं प्राकृतिक नाला से आवश्यक दूरी का प्रावधान करें। हॉलांकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. गाईड लाइन के अनुरूप सेटबेक रखने का अनुरोध किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नही है । सिमिति का मत है कि इस संबंध में हाईड्रोज्योलॉजीकल अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे ।
- क्वेरी क्रमांक 6 के अनुसार ब्लॉक 2, 4 एंव 10 का कुल क्षेत्र 135.61 हे0. है इन तीनों ब्लाकों में शासकीय भूमि तथा निजि भूमि का खसरावार क्षेत्र दर्शाते हुये तालिका प्रस्तुत की जावें तथा ब्लॉक 4 में जो निजी किसान प्रभावित होंगे उनमें से जन—सुनवाई में कौन—कौन से किसान उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा क्या—क्या सुझाव / आपत्ति दी गई, उनके सुझाव / आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण संबंधी जानकारी तालिका के रूप में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 221 हे. के लिये पर्यावरण स्वीकृति मांगी गई है पंरतु पौधारोपण का प्रस्ताव केवल कुल 29 हे0 का ब्लॉक न. 2, 4, 10 का दिया गया है अतः सभी ब्लाको के पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, अन्यथा प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल को ही पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।
- प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल हेतु ट्री इन्वेंटरी प्रस्तुत की जावे।
- निजी भूमि में प्रस्तावित पौधारोपण हेतु भूस्वामी की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराये जावे, कृषकों के द्वारा मांग के अनुसार पौधों का वितरण भू—प्रवेश के बाद करने हेतु शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

- निजी भू—स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए फेयरडील के आधार पर किया जाये तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण किसी प्रलोभन अथवा दबाबवश नहीं किया गया है।
- 3. Case No 9362/2022 M/s Krishna Minerals, Shri Jayant Goswami, Partner, 26, Commercial Complex, Housing Board Colony, Dist. Katni, MP 483501 Prior Environment Clearance for Laterite & Fireclay Deposit Quarry in an area of 6.350 ha. (Laterite 77618 Tonne per annum, Fire Clay 25989 Tonne per annum) (Khasra No. 231, 232, 233, 234), Village Majhgawan, Tehsil Badwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Laterite & Fire clay Deposit Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 231, 232, 233, 234), Village - Majhgawan, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 6.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 603वीं दिनांक 04/11/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है। प्रश्नाधीन खदान निजी भूमि पर है ।

परियोजना प्रस्तावक श्री जयंत गोस्वामी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग से होते हुए एक कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पूर्वी भाग में कच्चा रोड होने की बजह से 50 मीटर का एवं दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना 10 मीटर का सेटबेक प्रस्तावित किया है, जिसे सरफेस मेप में दिखाया गया है प्रश्नाधीन खदान में 12 पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 02 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज़ में 20 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 65 के सरल क्रमांक—2 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु ब्लास्टिंग का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, प्राथमिक शाला में पीने के पानी की व्यवस्था, खेलकूद सामग्री का वितरण, सुरकी जलाशय के पास जहां वन्यप्राणी पानी पीने आते है, इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है एवं खदान क्षेत्र के चारो ओर गेमप्रुफिग फेंसिग प्रस्तावित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite 77618 Tonne per annum, Fire Clay 25989 Tonne per annum प्रस्तावित है |
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 30.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.73 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू.
प्राथमिक शाला मझगवां में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ	70000
कांक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाने	
हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से योगदान दिया जावेगा ।	
ग्राम मंझगवां के लोगों के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से रोगी कल्याण	20000
समिति में योगदान दिया जावेगा।	
प्राथमिक शाला मझगवां में प्रधानाचार्य से बात करके क्रीड़ा सामग्री (रूपए	80000
20,000/), साउंड सिस्टम एंव जरूरत की चीजें (रूपए 15,000/-)प्राथमिक शाला में	
वितरण किया जावेगा एंव एक कंप्यूटर साथ में कंप्यूटर टेबल और प्रिंटर (रूपए	
45,000/-) देने का भी प्रावधान है	
ग्राम पंचायत अंतर्गत गाँव के विकास कार्य हेतु आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओ	30000
में मरम्मत साथ ही साथ पुताई करवाई जावेगी।	
योग	2,00,00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7700 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः— कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल,	2100

		सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज एव अन्य स्थानीय प्रजातिया	
2.	गैर खनन क्षेत्र	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः—, कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआ करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
3.	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे :- पीपल, सेमल, बरगद, जंगल जलेबी , पुतरंजीवा, कुसुम इत्यादि।	270
4.	शासकीय माध्यमिक शाला मझगवां में पौधारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः— कटहल, आम, कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री, पाखड़ अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	100
5.	ग्राम पंचायत भवन मझगवां में पौधारोपणग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः— कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री, पाखड़ अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	80
6.	आसपास के ग्रामीणों को वितरण के लिए	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए अचार आदि स्थानीय पौधों की प्रजातियां	4650
		योग	7700

4. Case No 9334/2022 Smt. Sujata Shivhare, Owner, Indranagar, Kabrai, Dist. Mahoba, UP - 210424, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.343 ha. (158335 Cum per annum) (Khasra No. 148), Village - Rampur Ghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Env. Con. - M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 148), Village - Rampur Ghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.343 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 597वीं दिनांक 06 / 10 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुजाता शिवहरे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि.गाजियाबाद (उ.प्र) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पहाड़ पर स्थित है, खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः दक्षिण दिशा में लीज का जो सकरा भाग है वह नॉन माईनिंग एरिया रहेगा एवं 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला इस संदर्भ में 20 मीटर का सेटबेंक प्रस्तावित किया गया है जिसे सरफेस मेप पर दिखाया गया है । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के अंदर कोई भी पेड़ नही है मात्र कुछ झाडियां इत्यादि है ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1659 दिनांक 25 / 07 / 22 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नवीन डीएसआर में खदान का विवरण जोड़ा जा रहा है।

खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, खदान के पास आवास है अतः ब्लास्टिंग नही जाना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था, इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी है अतः कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है एवं अन्य बिदुओ को ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत की गई जो कि संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो सहित संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 1,58,335 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रू. 28.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.33 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S.	Particulars	Capital Cost INR
No.		

1	Distribution of 2 Computer Set and One printer for one Govt. School of Rampur Ghosi	1,25,000		
2	Awareness camps and health checkup for Eye/dental Care and Oral Hygiene in village Rampur Ghoshi	50,000		
3	10 Sets of Table Bench provided to nearby Government School village Rampur Ghoshi Each Set of Bench & Table @ 3000 INR per set Two set of Computer Table @ 15,000 INR per table One Table for Printer @ 5,000 INR	50,000		
Total	C.E.R. Cost	2,25,000		
CER	CER COST = 2,25,000 ABOUT 5.0 % OF TOTAL PROJECT COST			

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5196 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Location	Name of Plant	No. of Plant
Barrier Zone	Neem, Seesam, Khamer, Chirol, Jungle Jalebi & Karanj	2400
Approach road road (Minimum Height 1 m)	Neem, Sisam, chirol & karanj	860
lantation in the Khasra number 656/6,Village Mahyaba (owned land)	Neem, Pipal, Kadamb, Karanj & Ashok	936
Distribution in farmers	Jamun, Munga, Kathal, Nibu, Mahua & Amrud	1000
Implementation agency: th	rough DFO/comptent agency/Gram Panchayat	Total: 5196

5. Case No 9959/2023 Shri Ashish Dhakad, Lessee, R/o- Petrol Pump Behind City Centare Colony, District-Shivpuri (MP)- 473551, Prior Environment Clearance for Govardha Khurd Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone- 20,000 m3/year M-sand - 5,000 m3/year & Khanda/Dhoka- 25,000 m3/year) (Khasra No. 7/4/11/4), Village- Govardha Khurd, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 7/4/11/4), Village- Govardha Khurd, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP) 4.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक आशीष धाकण ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2733 दिनांक 05/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर—दक्षिण दिशा में एक नालीनुमा संरचना दिख रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वहां से मिट्टी निकाली गई है कोई जल परिवहन संरचना नहीं है एवं इस संबंध में खिनज अधिकारी का पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 21/6/23 प्रस्तुतीकरण के दौरान दिखाया गया जिसमें उल्लेख है कि यह कोई नाली नहीं है एवं स्थानीय लोगो द्वारा खेतों में पानी देने के लिय बनाई गई है एवं लीज के अंदर स्थानीय लोगो द्वारा मिट्टी निकाले जाने से बनी हुई संरचना है, जिसे माईनिंग प्लॉन में भी दर्शाया गया है। खदान के प्रस्तावित स्थल के उत्तर—पूर्व दिशा में 264 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है एवं उत्तर—पश्चिम दिशा में 438 मीटर की दूरी पर आबादी है। खदान क्षेत्र के बैरियर जोन में 02 पेड़ है जिन्हे काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। प्रभारी अधिकारी(खिनज शाखा) जिला—श्योरपुर द्वारा एकल पत्र क्0. 2499 दिनांक 27/03/23 द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन की जाकर जोड़ा जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत की गई जो कि संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Govardha Khurd Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry in an area of 4.00 ha. (stone- 20,000 m3/year M-sand 5,000 m3/year & Khanda/Dhoka- 25,000 m3/year) है।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 1634 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.93 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू.
शासकीय चिकित्सालय कराहल में पदस्थ चिकित्सक अधिकारी के परामर्श से जरुरत	1,60,000

से हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी।

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू ,बबूल, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	1000
2.	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— नीम, कदम्ब, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	335
3.	उच्चतर माध्यमिक शाला कराहल परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— चिरोल, कदम्ब, नीम, बरगद, पाखड़, कचनार, पीपल आदि।	
4.	ग्राम गोवर्धाखुर्द के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— सीताफल, मूंगा, आम, संतरा , कटहल, संतरा , जामुन, आदि।	3610
		योग	4800

6. Case No 10008/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bahadurpur Jagir Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (3375 cum per year) (Khasra No. 375), Village-Bahadurpur, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 375), Village-Bahadurpur, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, मैनेजर (वित्त) मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण

में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 586 दिनांक 14/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह मलेनी नदी के पास स्थित खदान है खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है, समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माहो का इमेज उपलब्ध नहीं है, जबिक पूर्व में कई माहो एवं कई वर्षों के गूगल इमेज उपलब्ध होते थे जिसके कारणों से वास्तवित रूप से सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो पाता । खदान क्षेत्र के अपस्ट्रीम में लीज से लगा हुआ एक स्टॉप डेम हैं । स्टॉप डेम (गेट सिस्टम) नदी के ऊपर निर्मित है सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016/2020 में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं दिया गया है । डि—सिल्टेशन के बारे में (sand mining guidelines) पेज 61 पर उल्लेख किया गया है । समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि वहा जो भी अतिरिक्त जल होगा वहा जल हमेशा बना रहेगा, अतः स्टॉप डेम खुलने पर या क्षमता से अधिक जल एकत्रित होने पर ओवर फ्लो के रूप में पानी बहेगा । इस संबंध में जिले के सिचाई विभाग से विचार विमर्श किया जा सकता है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—91 के सरल कमांक—3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—4725 मैट्रिक टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3375 घनमीटर हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के कोआडिनेट पर आधारित लम्बाई चौड़ाई तथा तालिका में दर्शाई गई लम्बाई चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Bahadur Jagir	3.000	250*45*0.5	3375	380*76	3375

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्ती के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3375 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.83 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.50 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- 4. उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- 6. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:--

Location	Name of Plants	No. of plants	
In the both side of the Transportation Route	Jamun, Karanj, Neem, Aam, Aamla etc	500	
Distribution in villagers, school and Gram Panchayat	Jamun, Karanj, Neem, Aam and local species, fruit bearing plants.	500	
Total	1000		
Grass slips plantation in 3 to In a row planting of grass slips Between two rows there sho Grass slips will be planted in Distribution of plant sapling Plantation at both side of the	It is proposed to be plant 1000 sapling Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability. In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row. Between two rows there should be distance of 1 feet. Grass slips will be planted in staggered form. Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat. Plantation at both side of the Transportation Route. All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.		

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.07 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S.No.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
-------	-------------	-------------------------------

1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Bahadurpur Jagir	7,000
	Total C.E.R. Cost	7,000

7. Case No 10007/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kitu Khedi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 132), Village-Kitu Khedi, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 132), Village-Kitu Khedi, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, मैनेजर (वित्त) मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 17/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—91 के सरल क्रमांक—1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—5040 मैट्रिक टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी के पास स्थित खदान है खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है । नदी के दक्षिणी ओर से एवं दक्षिण—पूर्वी ओर से 02 प्राकृतिक नाले आकर मिल रहे है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माहो का इमेज उपलब्ध नही है, जबकि पूर्व में कई माहो एवं कई वर्षों के गूगल इमेज उपलब्ध होते थे जिसके कारणों से वास्तवित रूप से सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो पाता ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के कोआडिनेट पर आधारित लम्बाई चौड़ाई तथा तालिका में दर्शाई गई लम्बाई चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Kitu Khedi	5.000	300*40*0.5	3600	406*111	3600

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3600 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.71 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- 4. उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्योवरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

Location	Name of Plants	No. of plants
Both side of approach road	Mango,Jamun, Karanj,Neem	1250
Distribution in villagers, school and Gram Panchayat	Mango, Neem, Bamboo and local species, fruit bearing species.	1250
Total		2500

It is proposed to be plant 2500 sapling

Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability.

In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row.

Between two rows there should be distance of 1 feet.

Grass slips will be planted in staggered form.

Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat.

Plantation at both side of the Transportation Route.

All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Kitukhedi	10,000
	Total CER. Cost	10,000

8. Case No 9416/2022 Smt. Sonal Rai, R/o Hotal Utsav Vilas, In Front of New Overbridge, Sagar-Damoh road, Hirdepur, Dist. Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for Laterite & Clay Quarry in an area of 25.00 ha. (Laterite 153915 TPA and Clay 29156 TPA) (Khasra No. 595, 610), Village - Uttampur, Tehsil - Sleemanabad, Dist. Katni (MP)

This is case of Laterite & Fireclay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 595, 610), Village - Uttampur, Tehsil - Sleemanabad, Dist. Katni (MP) 25.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 597वीं दिनांक 06 / 10 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनल राय (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। माईन प्लॉन के अनुसार खदान के

पश्चिम दिशा में 130 मीटर की दूरी पर आबादी है, खदान के दक्षिण एवं उत्तर दिशा में से एक कच्चा रोड खदान से होकर निकल रहा है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर का सेटबेक छोड़ा जाना प्रस्तावित है खदान के उत्तर—पूर्वी दिशा में 80 मीटर की दूरी पर एक जलाशय है जिसके संदर्भ में 20 मीटर का सेटबेक दर्शाया गया है । खदान के दक्षिण—पूर्वी दिशा में 30 मीटर की दूरी पर एक बेयर हाऊस है उक्त संबंध में 70 मीटर का सेटबेक छोड़ा गया है । खदान के अंदर 02 कच्चे घर दिखाई दे रहे है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अतिक्रमण है यहा कोई निवासरत नही है, इन घरों में कृषि यंत्र आदि समान रखा जाता है एवं इस संबंध में संबंधितो द्वारा शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको प्रस्तुतीकरण में बताया गया है । खदान क्षेत्र में 40 पेड़ लगे हुए है जिनमें से कोई भी काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 7189 दिनांक 03/11/21 अनुसार आवेदित/स्वीकृत क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 0.556 से लगभग 223 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकरण की संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमित प्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—67 के सरल क्रमांक—18 पर दर्ज है।

खदान की जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों को रोजगार, रोड़ का निर्माण, सड़क एवं पहुँच मार्ग की मरम्मत, ग्रामवासियों के शिक्षा एवं उन्ययन हेतु सीएसआर मद में प्रयोजन, ग्राम पंचायत अंतर्गत ऑगनवाड़ी एवं शालाओं में वृक्षारोपण, क्षेत्र में पानी की कमी है, इस हेतु उचित व्यवस्था, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, बस्ती के अंदर से भारी वाहन न निकले, ग्राम में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है एवं खदान क्षेत्र के चारो ओर गेमप्रुफिग फेंसिग प्रस्तावित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. खनन् योजना अनुसार अनुमोदित अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite & Clay Quarry in an area of 25.00 ha. (Laterite 153915 TPA and Clay 29156 TPA) है |
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 50.29 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.80 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 4.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम उत्तमपुर के विकास कार्य हेतु ग्राम पचायत के माध्यम से सहयोग राशि जावेगी।	Rs. 25,000/-

अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए योगदान दिया जावेगा। कुल योग	4,00,000/-
ग्राम उत्तमपुर तथा ग्राम सलैया प्यासी में पशु स्वास्थ के लिए चिकित्सा	Rs. 30,000/-
जरुरत के हिसाब से उपयोगी सामग्री प्राथमिक शाला का वितरण किया जावेगा	
ग्राम सलैया प्यासी प्राथमिक शाला में क्रीड़ा सामग्री तथा साउंड सिस्टम एवं	40,000/-
जावेगा।	
से चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से रोगी कल्याण समिति में योगदान दिया	
ग्राम उत्तमपुर एवं ग्राम सलैया प्यासी के लोगो के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम	40,000/-
में ग्राम पंचायत के माध्यम से बर्तन और जरुरत की वस्तुए देने का प्रावधान है	
ग्राम उत्तमपुर एवं तथा ग्राम सलैया प्यासी में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम	40,000/-
बनवाया जावेगा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से योगदान दिया जावेगा ।	
कांक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट	
ग्राम सलैया प्यासी में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ	Rs. 40,000/-
सलैया प्यासी में बालक शिक्षा संघ के लिए योगदान दिया जावेगा।	
ग्रामवासियो को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्राम उत्तमपुर तथा ग्राम	Rs. 75,000/-
प्रिंटर देने का भी प्रावधान है	
शासकीय माध्यमिक शाला उत्तमपुर में एक कंप्यूटर साथ में कंप्यूटर टेबल और	Rs. 30,000/-
किये जायेंगे ।	
आंगनवाड़ी उत्तमपुर में खेलकूद के सामग्री, एक साल तक पोषण आहार प्रदान	Rs. 40,000/-
पुताई करवाई जावेगी।	
उत्तमपुर आंगनवाड़ी एवं माध्यमिक शाला उत्तमपुर में मरम्मत साथ ही साथ	Rs. 40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	स्तावित वृक्षारोपण पौधों की प्रजातियाँ हे लिए नियतस्थान	
1		कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआकरंज एव अन्य स्थानीय प्रजातिया	3500पौधे
2	गैर खनन क्षेत्र वृक्षारोपण	कालासिरिस, सफेदसिरिस, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, कुल्लू, महुआकरंज एव अन्य स्थानीय प्रजातिया	6500 पौधे

3	दक्षिण दिशा में आवेदित क्षेत्र के समान्तर वृक्षारोपण	4580 पौधे	
4	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	पीपल, सेमल, बरगद, जंगल जलेबी, पुतरंजीवा, कुसुम एव अन्य स्थानीय प्रजातिया	180 पौधे
5	ग्राम में स्थित विद्यालय परिसरमें	कदम्ब, अमलतास, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री, पाखड़ अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	70 पौधे
6.	आंगनवाड़ी मझगवां में पौधारोपण	सिरसू, कदम, बरगद, पाखड़, कचनार, पीपल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	20 पौधे
7		आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगाहाइब्रिडए अचारएव अन्य स्थानीय प्रजातिया	15000 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	30000 पौधे

9. Case No 9998/2023 Shri Parvat Muchhal, Junior Manager General, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Parsi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 624), Village-Parsi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 624), Village-Parsi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंजाल, जूनियर मैनेजर जनरल, मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 878 दिनांक 19/05/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान

स्वीकृत / संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—5 के सरल क्रमांक—9 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी के पास स्थित खदान है खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नही है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो सका है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के कोआडिनेट पर आधारित लम्बाई चौड़ाई तथा तालिका में दर्शाई गई लम्बाई चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Parsi	4.000	200*17*1.00	2040	472*83	2000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.73 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- 6. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:--

Location	Name of Plants	No. of plants	
In the both side of the Transportation Route	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Distribution in villagers, school and Panchayat			
	2200		
It is proposed to be plant 2200 sapling Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability. In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row. Between two rows there should be distance of 1 feet. Grass slips will be planted in staggered form. Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat. Plantation at both side of the Transportation Route. All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.			

त्या.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
1.	Books provide to Students Library of Govt Middle School, Parsi	8,000
	Total CER. Cost	8,000

10. Case No 10003/2023 Shri Parvat Muchhal, Junior Manager General, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Meriyakhedi Sand Quarry in an area of 4.50 ha.

# (1000 cum per year) (Khasra No. 1039), Village-Meriyakhedi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1039), Village-Meriyakhedi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) 4.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंजाल, जूनियर मैनेजर जनरल, मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 876 दिनांक 19/05/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—5 के सरल क्रमांक—3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1020 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी पर स्थित खदान है खदान क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत भाग जलमग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंदसौर का पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 14/6/23 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि जिले कि 04 खदानो (मेरियाखेड़ी, टाटका, जैतपुरा, ममटखेड़ा) के अक्षांस — देशांस में संशोधन किया गया है, जिसमें इस खदान के अक्षांस—देशांस संशोधित किये गये है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नही है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो सका है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के कोआडिनेट पर आधारित लम्बाई चौड़ाई तथा तालिका में दर्शाई गई लम्बाई चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Meriyakhedi	4.500	100*17*1.00	1020	330*94 148*91	1000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.07 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.62 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौडाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- 4. उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

Location	Location Name of Plants	
In the both side of the Transportation Route	Neem, sheesham, Gul mohar, Amaltash, etc	1000
Distribution in villagers, school and Panchayat		
	2000	
It is proposed to be plant 200 Grass slips plantation in 3 to In a row planting of grass sli Between two rows there sho		

Grass slips will be planted in staggered form.

Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat.

Plantation at both side of the Transportation Route.

All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Meriyakhedi	5,000
	Total CER. Cost	5,000

11. Case No 10002/2023 Shri Parvat Muchhal, Junior Manager General, M/s
The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A,
2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior
Environment Clearance for Tatka Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (1000
cum per year) (Khasra No. 383/338, 578 New), Village- Tatka, TehsilSitamau, District-Mandsaur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 383/338, 578 New), Village- Tatka, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंजाल, जूनियर मैनेजर जनरल, मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 875 दिनांक 19/05/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—5 के सरल क्रमांक—4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1020 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी के पास स्थित खदान है खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंदसौर का पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 14/6/23 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि जिले कि 04 खदानो (मेरियाखेड़ी, टाटका, जैतपुरा, ममटखेड़ा) के अक्षांस — देशांस में संशोधन किया गया है, जिसमें इस खदान के अक्षांस—देशांस संशोधित किये गये है। समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नही है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नही हो सका है।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में निम्न तालिका में दर्शाया गया अंतर परिलक्षित हो रहा है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Tatka	4.000	50*34*1.00	1020	560*70	1000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.45 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.27 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- 4. उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- 6. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:--

Location	Name of Plants	No. of plants
In the both side of the Transportation Route	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Distribution in villagers, school and Panchayat		
	2000	
Grass slips plantation in 3 to In a row planting of grass sli Between two rows there sho Grass slips will be planted in Distribution of plant sapling Plantation at both side of th	It is proposed to be plant 2000 sapling Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability. In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row. Between two rows there should be distance of 1 feet. Grass slips will be planted in staggered form. Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat. Plantation at both side of the Transportation Route. All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.	

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Tatka	5,000
	Total C.E.R. Cost	5,000

12. Case No 9999/2023 Shri Parvat Muchhal, Junior Manager General, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mamatkheda Sand Quarry in an area of 4.00

# ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 346), Village-Mamatkheda, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 346), Village-Mamatkheda, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंजाल, जूनियर मैनेजर जनरल, मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 877 दिनांक 19/05/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—5 के सरल क्रमांक—8 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी में स्थित खदान है खदान क्षेत्र उत्तरी भाग आंशिक रूप से जलमग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंदसौर का पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 14/6/23 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि जिले कि 04 खदानो (मेरियाखेड़ी, टाटका, जैतपुरा, ममटखेड़ा) के अक्षांस — देशांस में संशोधन किया गया है, जिसमें इस खदान के अक्षांस—देशांस संशोधित किये गये है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नही है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो सका है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में निम्न तालिका में दर्शाया गया अंतर परिलक्षित हो रहा है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	width & Avg Depth	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Mamatkheda	4.000	100*34*1.00	2040	406*102	2000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.38 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में दिये गये आंक्षास—देशांस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस का मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई तथा को—आर्डिनेट के आधार पर निर्मित गूगल इमेज की लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित है अतः खनिज अधिकारी डीएसआर में दर्शायी गई लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- उत्खनन् अनुमति जारी करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 5. खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- 6. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:--

Location	n Name of Plants	
In the both side of the Transportation Route	, , , , , ,	
Distribution in villagers, school and Panchayat  Jamun, Karanj, Neem, Aam fruit bearing plants etc		1000
	Total	2000
It is proposed to be plant 200 Grass slips plantation in 3 to In a row planting of grass sli Between two rows there sho Grass slips will be planted in		

Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat.	
Plantation at both side of the Transportation Route.	
All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.	

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.07 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Mamatkheda	7,000
	Total C.E.R. Cost	7,000

13. Case No 9960/2023 Ms Surbhi Tak, Owner, R/o- 32, Vidhya Vihar, Kasturba Nagar, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sanwaliya Rundi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक सुरभी टाक (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 100 दिनांक 13/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 100 दिनांक 13/01/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्त्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है । आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र असमतल है तथा खदान के उत्तर—पश्चिम दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है एवं दक्षिण 91 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है, तथा माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग का उल्लेख किया गया है। अतः मा0. एन.जी.टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार 200 मीटर दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान के उत्तर—पश्चिम दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है एवं दक्षिण 91 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है चुिक खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः मा0. एन.जी.टी. के ओ.ए. न0. 304 / 2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 14. Case No 9826/2023 Shri Sanjay Patwala, 72, Sukh Niwas, Gram Sukh Niwas, Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Jhigadi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9894 Cum per annum) (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 28/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 6.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 22/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक विजयवर्गीय (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र खुदा हुआ है गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का उत्तर—पूर्व दिशा का कुछ भाग खुदा हुआ है। उत्तर दिशा मे 278 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ है, उत्तर—पूर्व एंव पूर्व दिशा मे कमशः 240 एंव 385 मी. पर प्राकृतिक नाला है तथा दक्षिण—पूर्व दिशा मे 360 मी. पर आवासीय मकान है। मा0. एन.जी. टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार खनन प्रक्रिया मे माईनिंग प्लान में सिंगल रो ब्लास्टिंग पेटर्न का उल्लेख है। अतः वांछित दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई. ए. में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. दिनांक 30/01/2017 करे प्राप्त की गई थी। अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ फेंसिंग के फोटोग्राफ, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिये ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान क्षेत्र का उत्तर—पूर्व दिशा का कुछ भाग खुदा हुआ है। उत्तर दिशा मे 278 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ है, उत्तर—पूर्व एंव पूर्व दिशा मे क्रमशः 240 एंव 385 मी. पर प्राकृतिक नाला है तथा दिक्षण—पूर्व दिशा मे 360 मी. पर आवासीय मकान है। मा०. एन.जी.टी. के ओ.ए. न०. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार आवश्यक दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
- 2. इस प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. दिनांक 30 / 01 / 2017 करे प्राप्त की गई थी । अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ फेंसिंग के फोटोग्राफ, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिये ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 सें 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

## 15. Case No 9961/2023 Ms Seema Devda, Owner, R/o- 62, New Globus City, District-Ratlam (MP)-457001Prior Environment Clearance for Sanwaliya Rundi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11760 cum per year) (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक सीमा देवदा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री डॉ धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) आज दिनांक 14/06/23 को उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/03/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्त्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र असमतल है तथा खदान के उत्तर दिशा में लगभग 119 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है। अनुमोदित खनन योजना में चूंकि ब्लास्टिंग का उल्लेख किया गया है। अतः मा०. एन.जी.टी. के ओ.ए. न०. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया मे ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान क्षेत्र असमतल है तथा खदान के उत्तर दिशा में लगभग 119 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है, अतः मा0. एन.जी.टी. के ओ.ए. न0. 304 / 2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 16. Case No 9953/2023 Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sarwani Crusher Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (15200)

## <u>Cum per annum) (Khasra No. 173), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)</u>

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 173), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक विजयवर्गीय (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र कमांक 503 दिनांक 02/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 503 दिनांक 02/03/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्मांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ है तथा दक्षिण—पिश्चम एवं दक्षिण—पूर्व में क्रमशः 90 तथा 100 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला तथा उत्तर दिशा में 409 मीटर की दूरी पर नदी है। अनुमोदित खनन योजना में सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित होने का उल्लेख है। अतः मा०. एन.जी.टी. के ओ.ए. न०. 304/2019 एंव सी.पी.सी. बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ है तथा दक्षिण—पिश्चम एवं दक्षिण—पूर्व में क्रमशः 90 तथा 100 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला तथा उत्तर दिशा में 409 मीटर की दूरी पर नदी है, अतः मा0. एन.जी.टी. के ओ.ए. न0. 304/2019 एंव सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन के अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिये 200 मी. दूरी छोड़ते हुए इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 6. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

# 17. Case No 9857/2023 M/s DG Bundelkhand Granite LLP, Partner Shri M.K. Meena R/o 1st Floor, Chetak Complex, Near FCI Bhavan, Zone-II, MP Nagar Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 3.290 ha. (16895 Cum Per Year) (Khasra No. 1469) Village-Beejour, Tehsil-Niwari, District-Nivari (MP)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1469) Village-Beejour, Tehsil-Niwari, District-Nivari (MP) 3.290 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 एवं 655वीं बैठक दिनांक 22/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक

प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

18. Case No 10009/2023 Shri Parvat Muchhal, Junior Manager General, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khaikheda Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 57), Village-Khaikheda, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 57), Village-Khaikheda, Tehsil-Sitamau, District- Mandsaur (MP) 4.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंजाल, जूनियर मैनेजर जनरल, मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) आज दिनांक 22/06/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 871 दिनांक 19/05/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—05 के सरल क्रमांक—1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2040 मैट्रिक टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह चंबल नदी में स्थित खदान है खदान क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो सका है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित

जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में निम्न तालिका में दर्शाया गया अंतर परिलक्षित हो रहा है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Khaikheda	4.500	68*50*1.00	2040	700*67	2000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित हो रहा है अतः खनिज अधिकारी लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये।
- 4. पर्यावरणीय शर्तो का पालन खनन् कार्य के पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये तादुपरांत उत्खनन् कार्य करने की अनुमति दी जाये ।
- 5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

Location	Name of Plants	No. of plants
Gram Sabha and nearby school	Neem, sheesham, Gul mohar, Amaltash, etc	1500
In the both side of the Transportation Route	Jamun, Karanj, Neem, Aam fruit bearing plants etc	1200
In open space of Habitation Area	Jamun, Karanj, Neem, Aam fruit bearing plants etc	1200

		Total	3900
It is proposed to be plant 3900 sapling Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability. In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row. Between two rows there should be distance of 1 feet. Grass slips will be planted in staggered form. Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat. Plantation at both side of the Transportation Route. All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.	Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability. In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row.  Between two rows there should be distance of 1 feet.  Grass slips will be planted in staggered form.  Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat.  Plantation at both side of the Transportation Route.		

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.07 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Khaikheda	7,000
	Total C.E.R. Cost	7,000

19. Case No 10011/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Karan Khedi Sand Quarry in an area of 1.70 ha. (3105 cum per year) (Khasra No. 126), Village-Karan Khedi, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (MP).

This is बेंम of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 126), Village-Karan Khedi, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (MP) 1.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, मैनेजर (वित्त) मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में

परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 942 दिनांक 12/05/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—91 के सरल क्रमांक—4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—4347 मैट्रिक टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3105 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह मलेनी नदी के पास स्थित खदान है खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है । समिति ने परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि वर्तमान में गूगल इमेज के टाईम लाईन पर अलग—अलग वर्ष एवं माह की इमेज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वास्तवित सेंड की उपलब्धता का आंकलन नहीं हो सका है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में निम्न तालिका में दर्शाया गया अंतर परिलक्षित हो रहा है । समिति ने यह पाया कि लंबाई—चौडाई में अंतर होने के बाबजूद भी परियोजना प्रस्तावक को वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध हो रही है ।

Sr No	Name Of Mine	Area in (ha)	Avg Length, Avg width & Avg Depth as per DSR	60% of DSR Quantity	Actual length and width as per kml	Quantity as per Mining Plan
1	Karan Khedi	1.700	230*45*0.5	3105	482*40	3105

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3105 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल रोशि रू. 04.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.66 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. जिला सर्वेक्षण रिपार्ट में जो आंक्षास—देशांस दिये गये है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लॉन में दर्शाये गये आंक्षास—देशांस के आधार उनमें मिलान हो रहा है परंतु डी.एस.आर. में उक्त खदान के जो

लंबाई—चौडाई दर्शायी है एवं इन कोआडिनेट पर आधारित जो गूगल इमेज तैयार की गई है उनकी लंबाई—चौड़ाई में अंतर परिलक्षित हो रहा है अतः खनिज अधिकारी लंबाई—चौडाई में संशोधन कर सिया को अवगत कराये ।

- पर्यावरणीय शर्तो का पालन खनन् कार्य के पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये तादुपरांत उत्खनन् कार्य करने की अनुमित दी जाये ।
- 5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- व. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

Location Name of Plants		No. of plants
Gram Sabha and nearby school	1000	
In the both side of the Transportation Route	620	
In open space of Habitation Area	420	
Total	2040	
It is proposed to be plant 2040 sapling Grass slips plantation in 3 to 5 row depending upon space availability.  In a row planting of grass slips in 2X2 m in a row.  Between two rows there should be distance of 1 feet.  Grass slips will be planted in staggered form.  Distribution of plant sapling to villagers, school and Gram Panchayat.  Plantation at both side of the Transportation Route.  All plantation and maintenance will be done in Conceptual Period.		

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S NO.	Particulars	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
1.	Books provides to Students Library of Govt Middle School, Karankhedi	10,000	
	Total CER. Cost	10,000	

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

#### Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.

- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related

to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the

possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types

sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions

stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
- ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.

- iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
- iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
  - Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily

- details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.

- A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.

- A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
  - 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  - 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and

causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'D'

## cable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.

- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

- Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of

TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.

- If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for

which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

  FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA,

  following should be studied and discussed in EIA Report before Public

  Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated

  30/07/2018.
- Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.

40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1 :— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
  - नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है
- नोट 3 :- पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल / ऑगनवाडी / पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग / ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

#### नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	<b>ॅ</b> चाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र		03-05 से. मी.
		फिट	
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 - 05.5	05—10 से.मी.
		फिट	
3.	के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.		
	गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	ावश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर		
	जैविक खाद		

#### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	स्थानीय घास प्रजातियाँ। 4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फੀਟर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर